11/05/22

सीपीएम का प्रेस वक्तव्य

सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य

ब्रिटिश राज के जमाने मे देश की जनता की आवाज को *कुचलने के लिए बने 1870 के राजद्रोह कानून की धारा 124 ए पर उच्चतम न्यायालय ने शानदार फैसला दिया है*

मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली के तीन सदस्यीय बेंच द्वारा दिए गए आदेश मे कहा गया है कि-

जबतक कोर्ट इस बर्बर धारा की समीक्षा पूरी नहीं करता है तबतक राजद्रोह के सभी मामलों मे सुनवाई तत्काल रोकी जाये

इस धारा के तहत जो भी जेल में बंद हैं वे जमानत के लिए आवेदन दे सकते हैं

केंद्र और राज्य सरकारें अब इस धारा मे किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकती है

केन्द्र सरकार के महाधिवक्ता की पूरी कोशिश थी की केंद्रीय सरकार द्वारा इस धारा की 'समीक्षा के नाम' के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से राहत ले ली जाय लेकिन उच्चतम न्यायालय ने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए स्वयं इस बर्बर कानून की समीक्षा करने का एलान किया है

माकपा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करता है

क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार मे बैठे सत्ताधारी लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाते हुए अपने विरोधियों का दमन करने के लिए इस कानून का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे थे